RNI Regn. No. : UPHIN/2004/13685

पत्रिका

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : 819/1987–88)

वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ – 226 004

फोन : 0522–2242486 मोबाइल : 9415418566, 9335019355 फैक्स : 0522–2242486

ई–मेल : coldstorage@satyam.net.in **वेबसाइट :** http://www.fcaoi.org

श्री जी.एस. धीरानी, सेक्रेट्री जनरल : 9839013400

मूल्य : 1/– रु0 31 अगस्त, 2012 मासिक पत्रिका : अध्यक्ष : श्री महेन्द्र स्वरूप, ऐशबाग, लखनऊ। सचिव : श्री राजेश गोयल, आगरा। वर्ष : 9, अंक : 3

संगठन ही शक्ति है

बन्धुवर,

पूरे देश से अगस्त के बाद के सप्ताहों में अच्छी वर्षा होने के समाचार आ रहे हैं। इससे वर्षा का प्रतिशत जो बहुत कम रह गया था बराबर आ जाने की आशा की जा रही है। इस आशा के कारण जाड़ो में आने वाले आलू की आने वाली फसल भी अच्छी होने का अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता बनी रहने की आशा है।

साथ में इस देर की बारिश से अक्टूबर माह में तैयार हो जाने वाली फसल भी कुछ देर से आने का अनुमान लगाया जा रहा है जिससे हो सकता है कि भण्डारित आलू को बिक्री के लिए चार/पाँच दिन और अधिक मिल जायें। पंजाब व फर्रूखाबाद से नई फसल की बुआई शुरू होने के समाचार अभी हमें नहीं मिले हैं परन्तु उनका चार/पाँच दिन लेट हो जाना सुनिश्चित माना जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में शीतगृहों से चालीस प्रतिशत आलू निकल जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। कुछ शीतगृहों में अवश्य निकासी बहुत कम हुई है परन्तु ऐसे वह ही शीतगृह हैं जहाँ पर मुख्यतः बीज आलू का भण्डारण हुआ है।

आलू के भाव भी 1200 रूपए कुन्तल के आस–पास चल रहे है। शुगर–फ्री या चिपसोना के रेट अलग है।

आलू की निकासी ठीक भी गिनी जाऐगी, फिर भी शीतगृहस्वामियों को अपना आलू निकालते ही रहना चाहिए और यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा भण्डारित आलू 25 अक्टूबर तक बिक कर उसका निस्तरण मण्डी में भी हो जाए। प्रायः यह देखा जाता है कि अखिरी दिनों में आलू की मण्डी एकदम गिरने लगती है और बिके हुए आलू को खरीदार छोड़कर भाग जाते है।

खोये के भन्डारण के सम्बन्ध में :

अनेक शीतगृहों में खोये का भण्डारण हो रहा है। इस भण्डारित खोये पर Food Adulteration Department वाले छापा मार रहे है और शीतगृहों के खिलाफ मुकदमा दायर कर रहे है। हमने यह मुकदमा लड़ा है और हमारे पक्ष में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेन्च ने निर्णय दिया है। निर्णय की इस कापी को हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं।

Court No. - 3

Case :- CRIMINAL REVISION No. - 471 of 2010

Petitioner :- Anil Jaiswal
Respondent :- The State Of U.P
Petitioner Counsel :- T.N Srivastava,Alok Shukla
Respondent Counsel :- Govt. Advocate

Hon'ble Shri Narayan Shukla,J.

Heard learned counsel for the parties.

The petitioner has challenged the order dated 2nd of November, 2010 passed by the Additional Chief Judicial Magistrate- Ist, Lucknow on several grounds, the petitioner being Manager of the Cold Storage is not liable for any adulteration, further "*Khowa*" was stored in the Cold Storage for the purpose of preservation not for sale, therefore, the provisions of Section 10(2) of the Prevention of Food Adulteration Act are not attracted.

He raised this plea before the trial court with the application for discharge, but same has not been considered and only the fact of adulteration has been taken into account for proceeding with the trial.

Under these circumstances, I am of the view that order impugned warrants interference by this Court and the same is hereby quashed with a direction to the trial court to consider the petitioner's application for discharge a fresh in light of the contents of application as well as the observation made here-in-above.

With the aforesaid observations, the petition is disposed of finally.

Order Date :- 19.1.2011
Amit

Authenticated Copy
Section Officer
Computerized Copying Centre
High Court, Lucknow Bench
LUCKNOW

इस निर्णय के बाद हमारा केस अपर सत्र न्यायालय में चला। अपर सत्र न्यायालय ने भी हमारे पक्ष में निर्णय दिया।

माननीय उच्च न्यायालय ने तो यह माना कि शीतगृहों में खोया सुरक्षित भण्डारित करने के लिए रखा गया था ना कि बिक्री के लिए अतः कोल्ड स्टोरेज पर कोई केस नहीं बनता। वही पर माननीय अपर सत्र न्यायाधीश ने अपने निर्णय में यह माना है कि शीतगृह में खोये की कोई भी बिक्री नहीं पाई गई। नमूना लेते वक्त Food Adulteration Department ने सैम्पल की कीमत का भुगतान शीतगृह को किया था। इस भुगतान को लेकर एडलट्रेशन विभाग का यह कहना था कि यह बिक्री हुई क्योंकि इसका पेमेन्ट शीतगह ने स्वीकार किया। माननीय न्यायाधीश ने इस तर्क को नहीं माना और कहा कि इस तरह की बिक्री अनिवार्य बिक्री के अर्न्तगत आती है स्वैच्छिक बिक्री के अर्न्तगत नहीं। अतः इस प्रकार दिखाई गई बिक्री में शीतगृह दोषी नहीं है।

हमारी शीतगृहों को यह सलाह है कि वह खोये का भण्डारण करते समय भण्डारणकर्ता का सही नाम, पता, पहचान पत्र, पैन नम्बर व सही दस्तखत अवश्य चेक कर लें।

उसके बाद भण्डारित माल पर उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती अन्यथा ऐसे माल के जिम्मेदार शीतगृह माने जायेंगे जिनका पता, नाम व दस्तखत सत्यापित नहीं हो पायेंगे। यदि आप में से किसी को भी इन निर्णयों की कापी चाहिए तो हमें लिख सकते हैं।

विदेश यात्रा के सम्बन्ध में :

कुछ शीतगृहों के विशेष अनुरोध पर विदेश यात्रा का प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है। यह यात्रा सम्भवतः जनवरी, 2013 के प्रथम सप्ताह में आस्ट्रेलिया के लिए तैयार की जा रही है। इसकी अवधि करीब 8 रात 9 दिन की होगी और इसका करीब 2,00,000 दो लाख रूपया प्रति व्यक्ति खर्च आने का अनुमान है। यदि आप इस यात्रा में जाने के इच्छुक हो तो हमें विवरण के लिए तुरन्त लिख भेंजे। यदि बीस व्यक्तियों से कम की संख्या रहती है तो अधिक उचित रहेगा और हम भी इतने व्यक्तियों की स्वीकृति आ जाने के बाद रजिस्ट्रेशन बन्द करने की सोच रहे हैं या फिर इसे दो अलग–अलग ग्रुप में बाँट देंगे।

आलू आधारित उघोग स्थापित करने हेतु उद्यान विभाग द्वारा उद्यमियो से प्रस्ताव भेजने का आमन्त्रण :

उत्तर प्रदेश सरकार
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
2–सप्रू मार्ग, लखनऊ उ.प्र. 226001
www.horticulture.up.nic.in, www.shm.up.nic.in ईमेल : dirhorti@rediffmail.com

पत्रांक 719–20 / पोटेटो इण्ड. ई.ओ.आई / 2012–13 / दिनांक 09 अगस्त, 2012

प्रदेश में आलू आधारित उद्योग स्थापित करने हेतु उद्यमियों से अभिरुचि प्रस्ताव का आमंत्रण

उत्तर प्रदेश, देश क प्रमुख आलू उत्पादक राज्य है, जो देश के कुल उत्पादन का लगभग 40 प्रतिशत आलू उत्पादित करता है। प्रमुख आलू उत्पादक क्षेत्र: आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, हाथरस, फर्रुखाबाद, कन्नौज, ईटावा, औरैया, कानपुर, मेरठ, हापुड़, सम्भल, बंदायूं व बुलंदशहर हैं जिनमें प्रदेश के कुल उत्पादन का 70–75 प्रतिशत आलू उत्पादित होता है।

राज्य सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्सकरण उद्योग मंत्रालय, राष्ट्रीय बागवानी मिशन तथा भारत सरकार की अन्य योजनाओं के अतनर्गत वर्तमान में उपलब्ध वित्तीय सहायता, उक्त परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार द्वारा यथासम्भव आलू आधारित उद्योगों के लिए भूमि उपलब्ध कराने में भी सहायोग प्रदान किया जायगा, साथ ही बैकवर्ड लिंकेज सुविधाओं व बीज उत्पादन आदि में भी सहयोग प्रदान किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश सरकार इच्छुक उद्यमियों से प्रदेश में आलू आधारित उद्योग : पोटेटो फ्लेक्स, पाउडर, चिप्स, स्टार्च, क्यूब्स आदि तथा बीज का उत्पादन इकाई, स्थापित करने हेतु अभिरूचित प्रस्ताव आमंत्रित करती है

वर्तमान में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध वित्तीय सुविधाएं निम्न प्रकार है :

1. राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना के अन्तर्गत आलू आधारित उद्योग स्थापित करने पर , प्लाण्ट व मशीनरी तथा तकनीकीनिर्माण कार्य की लागत का 25 प्रतिशत अथवा रु. 50 लाख, जो कम हो।
2. राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अन्तर्गत बहुकक्षीय एवं बहुउद्देशीय शीतगृहों की स्थापना / आधुनिकीकरण / उच्चीकरण किये जाने पर प्लाण्ट व मशीनरी तथा तकनीकी निर्माण कार्य की लागत का 40 प्रतिशत अथवा रू. 120 लाख जो कम हो।
3. राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अन्तर्गत प्राइमरी / मोबाइल / मिनिमल प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना हेतु 40 प्रतिशत अथवा रु. 9.6 लाख, जो कम हो।
4. राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अन्तर्गत आलू के प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु निजी क्षेत्र में लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 25 हजार प्रति हेक्टेयर क्रेडिट लिंक्ड बैक इण्डेड अनुदान के रूप में तथासार्वजनिक क्षेत्र में शत प्रतिशत, अधिकतम रू. 50 हजार प्रति हेक्टेयर।
5. मेगा फूड पार्क की स्थापना किये जाने पर, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा परियोजना लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम रू. 50 करोड़ पूँजी अनुदान के रूप में।
6. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोल्ड चेन, वैल्यू एडीशन एवं प्रसंस्करण हेतु अवस्थपना सुविधाओं के विकास हेतु परियोजना लागत (प्लाण्ट व मशीनरी तथा तकनीकी निर्माण) का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 10 करोड का अनुदान्।

इच्छुक उद्यमी उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान / सुविधा प्राप्त करने हेतु अपने प्रस्ताव (डी.पी.आर.) निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, 2–सप्रू मार्ग, लखनऊ को प्रेषित कर सकते हैं. क्रमांक 5 व 6 से सम्बन्धित योजनाओं के प्रस्ताव खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार को अग्रसारित किये जायेंगे।

विस्तृत जानकारी एवं प्रेक्षा के लिए डा० एस.के. चौहान, फल उद्योग विकास अधिकारी, मो. 941235565, ईमेल : upfpmission@gmail.com एवं धर्मेन्द्र नाथ पाण्डेय, उप निदेशक (आलू) मो. 9453419569, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, 2–सप्रू मार्ग, लखनऊ से सम्पर्क कर सकते हैं।

UPID 67724 dt13.08.2012 www.upgov.nic.in

(ओ० एन० सिंह), निदेशक

सर्विस टैक्स व फूड सेफ्टी एक्ट के सम्बन्ध में :

उपरोक्त एक्टो व शीतगृहों की अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में हमने केन्द्र सरकार को एक ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन के मुख्य विषय है कि सर्विस टैक्स जो कि आंशिक रूप से शीतगृहों पर लगने जा रहा है वह ना लगाया जाए। यहाँ ध्यान दें कि वह शीतगृह जो केवल आलू का भण्डारण करते हैं सर्विस टैक्स के दायरे में नहीं आते। जो पदार्थ सर्विस टैक्स के दायरे में आते हैं उनमे सम्भवतः आइसक्रीम, खोया, काजू आदि की श्रेणी आती है। इसी प्रकार शीतगृहों पर फूड सेफ्टी एक्ट लगाया जा रहा है। इसका क्या दायरा है हमें नहीं मालूम। मुख्यतः तो केवल आलू भण्डारण करने वाले शीतगृह पूर्णतया मुक्त समझ में आ रहे हैं परन्तु फिर भी फूड सेफ्टी विभाग उन्हें नोटिस भेज रहा है। इसका स्पष्टीकरण लेना भी हमारा उद्देश्य है। इसके साथ हम शीतगृहों की समस्याएँ जैस सब्सिडी का देर से मिलना, बढ़ी हुई कीमतों में सब्सिडी का कम होना और भण्डारण प्रभार में सरकारी हस्तक्षेप आदि है। हम यहाँ पर अपने द्वारा केन्द्र सरकार को दिए जाने वाले ज्ञापन की कापी प्रस्तुत कर रहे हैं :–

1. Imposition of Service Tax on cold storages:

So far Cold Storage Industry was specifically and totally exempt from Service Tax for the reason that this will be indirectly on the cultivators or farmers. Now certain horticulture produce have been included under Service Tax.

Cold Storages do not know which horticulture produce has been included under Service Tax or not because they do not know and can not know whether the particular produce has come for storage after processing, such as Kishmish, Turmeric, Red Chilly, Cashew Nuts, Almonds, Cloves, Dates, Tamarind, Chilgoza etc. We have come to know that even cold storage curd and butter have been included under Service Tax.

Similarly, we do not know whether the ripening of banana by ethylene gas is covered under Service Tax or not. If it is covered then this will directly be a tax on cultivators because no unripe banana is good for eating and is sold to the consumer under the unripe condition.

Somehow, this process of ripening by ethylene has brought out cultivators from the clutches of harmful method of ripening by Carbide. Now again if service tax is imposed cultivator shall prefer ripening of banana at his village under a “bhatti” by carbide. After service tax the price difference shall be to the tune of twenty percent.

If you see the practical aspect of banana ripening then it is being done by fumigation which is an exempt process but under cold storage and not at the cultivators hometown.

Service Tax may be charged at the place of processing and not at the place of storage. This Service Tax shall have a detrimental effect on the growth of Cold Storage Industry where crores of kirana bags of hundreds of items are stored.

2. Imposition of Food Safety and Standards Act 2006 on cold storages:

The cold storages storing potato, fruits and spices should not be included in Food Safety and Standards Act for the following reasons.

(a) Cold Storages do not purchase or sell anything

(b) Cold Storages do not produce any food product

(c) They do not fall under the category as specified under, schedule, Regulation 2.1.2 and 2.1.3 of the Food Standards & Safety Act 2006 but in the form D of Regulation 2.1.2 Regulation 2.1.3 and Regulation 2.1.7 which is Form B covering Application for Licence under Food Safety and Standards Act 2006 word Cold Storage has been included in the list. Copies of the Regulations are attached herewith.

Our contention is that the basic meaning and purpose of this inclusion is of those cold storages only which are storing and processing food products in large quantities. A clarification is very much needed in this respect.

3. Delay is disbursement of subsidy for the construction of cold storages-renovation & modernization:

There is an inordinate delay in disbursement of subsidy, many cold storage have not got subsidy after 2/3 years even after getting the approval of it. This type of delay is causing huge loss to the entrepreneur and discouraging new ones to come.

4. Norms for construction of cold storage :

The norms given by National Horticulture Board for the construction of cold storages are not practical and commercially viable. They have introduced Unit Type of cooling system which is not at all suitable for potato cold storages or for cold storages which receive heavy produce every day without previous cooling in refrigerated vans. This system is also consuming much more electricity than bunker coil

system which is very common and adopted by Cold Storage Industry. National Horticulture Board has also got some feedback in this regard and have found the points which we are narrating are correct. Several cold storages built under Unit System have failed and damaged.

Regarding other construction points although they are correct but have increased the construction cost, so much that the entire subsidy amount gets absorbed in the increased cost. Therefore, if such costly norms are to stay, the percentage of subsidy should also be increased as per the new cost of construction.

5. Government interference in fixation cold storage rent :

West Bengal Government and Uttar Pradesh Government are constantly interfering into cold storage rent fixation. West Bengal Government has fixed most uneconomical rate for storage without giving any consideration to the cost incurred in the storage. While in India average storage rates are Rs. 150/- per quintal West Bengal Government has fixed Rs. 100/- per quintal which is totally unjustified and deterrent to the Cold Storage Industry.

Similarly, Uttar Pradesh Government is all the time issuing orders to the cold storages to charge lesser rate than fixed by the cold storages. Under the existing Act in Uttar Pradesh the Administration is not empowered to dictate terms as being dictated in Uttar Pradesh.

6. Harassment of Cold Storages for quick disposal of potato

West Bengal State Government is putting undue pressure on cold storages to sell potato at lower rate. Potato stored does not belong to cold storages hence they do not have any control over time of sale and price of sale, yet various undue pressures are being put on them. State Borders are sealed and truck owners are threatened by police. This is creating a panic condition among growers and cold storage owners.

You are requested to deal our case in your Ministry or take up the matter with concerned departments for the rapid development of Cold Chain.

for **FEDERATION OF COLD STORAGE ASSOCIATIONS OF INDIA**

(MAHENDRA SWARUP)
PRESIDENT

माननीय उद्यान मंत्री उत्तर प्रदेश का आगरा दौरा :

माननीय राज किशोर सिंह, उद्यान मंत्री, उत्तर प्रदेश ने दिनांक 14/8/2012 को आगरा का भ्रमण किया और वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज स्वामियों से विशेष मुलाकात की। इस अवसर पर आगरा कोल्ड स्टोरेज ऑनर्स एसोसिएशन ने उन्हें एक ज्ञापन भी दिया जिस पर माननीय मंत्री जी ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। आगरा कोल्ड स्टोरेज ऑनर्स एसोसिएशन का ज्ञापन हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे आपको भी शीतगृहों, विशेष कर आगरा के शीतगृहों की अधिक जानकारी हो सके।

(M) 9319204012

ACSOA आगरा कोल्ड स्टोरेज ऑनर्स एसोसियेशन

प्रधान कार्यालय : बल्केश्वर आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज, महादेव मन्दिर के पीछे, बल्केश्वर, आगरा

अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष
डॉ. सुदर्शन सिंघल	राजेश गोयल	राजन गोयल
मो. : 9837038131	मो. : 9319106205	मो. : 9719430933

प्रतिष्ठा में –

दि० 14.08.2012

माननीय श्री राजकिशोर सिंह जी,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री,
उ०प्र० शासन, लखनऊ ।

विषय- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एंव शीतगृह उद्योग के विकास के सन्दर्भ में ।

महोदय,

माननीय सर्वोच्य न्यायालय के आदेशानुसार ताज संरक्षित क्षेत्र प्रदूषणकारी उद्योग प्रतिबन्धित हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एंव शीतगृह उद्योग न सिर्फ गैर प्रदूषणकारी है बल्कि आगरा मण्डल जो कि आलू का देश मे सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, के लिये उपयुक्त भी है। अगर इन उद्योगों के विकास के लिये सकारात्मक कदम सरकार द्वरा उठायें जाये तो इन उद्योगों का हमारे मण्डल में अति सुन्दर भविष्य है। इन उद्योगों के विकास के लिये आपका ध्यान निम्न सुझावों पर आकर्षित करना चाहते हैं ।

1- मा० उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बावजूद आगरा में उद्योगों को बहुत कम विद्युत आपूर्ति हो रही है । चूंकि इन उद्योगों को अनवरित विद्युत की आवश्यकता है अतःबिना व्यवधान विद्युत की सप्लाई रखने के निर्देश दिया जाये एवं उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये । कम से कम 18-20 घंटे विद्युत सप्लाई की व्यवस्था अति आवश्यक है। इस वक्त आगरा मण्डल में 450 शीतगृहों में लगभग 2700 करोड का आलू भण्डारित है। केवल आगरा जिले के 240 शीतगृहों में 1500 करोड़ का आलू रखा हुआ है इसलिये आलू को सुरक्षित रखने के लिये 20 घण्टे विद्युत आपूर्ति अत्यन्त आवश्यक है।

2- ताज संरक्षित क्षेत्र में डीजल प्रतिबन्धित है एवं प्राकृतिक गैस केवल कुछ ही पुराने उद्योगों को बहुत कम मात्रा में मिल रही है। अतः अनुरोध है या तो सभी उद्योगों के लिये प्राकृतिक गैस की सप्लाई की जाये अथवा विकल्प के रूप में लो सल्फर डीजल से जनरेटर सेट चलाने की प्रदूषण विभाग से अनुमति प्रदान करवाई जाये ।

3- आलू आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिये आगरा में एक तकनीकी सेमीनार का आयोजन किया जाये जिसमें उद्यमियों एव किसानो की भागीदारी हो । इसी तारतम्य में एक सेमीनार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कार्यरत बड़ी कम्पनियाँ पेप्सी, लहर, पारले, मदरडेरी, आदि के साथ उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में उद्यमियों के साथ हों।

ACSOA
आगरा कोल्ड स्टोरेज ऑनर्स एसोसियेशन
प्रधान कार्यालय : बल्केश्वर आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज, महादेव मन्दिर के पीछे, बल्केश्वर, आगरा

अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष
डॉ. सुदर्शन सिंघल	राजेश गोयल	राजन गोयल
मो. : 9837038131	मो. : 9319106205	मो. : 9719430933

4- आलू की बीमा पॉलिसी का नये तरीके से निर्धारण किया जाये जिससे किसी कारणों से शीतगृहों में आलू खराब होने पर किसानों को आलू का मुआवजा दिलाया जा सके ।

5- आगरा में फूड पार्क की स्थापना की जानी चाहिये। इस फूड पार्क में सरकार को टैक्स होली-डे ब्याज मुक्त पर छूट इत्यादि की सुविधा के अतिरिक्त विशेष अनुदान अन्य स्थानो पर मिलने वाले अनुदानों से अधिक हो की सुविधा प्रदान की जानी चाहिये । क्योंकि आगरा में ताज संरक्षित क्षेत्र होने के कारण उद्योग लगाने के लिए अन्य शहरों की अपेक्षाकृत भिन्न परिस्थितियाँ हैं। फूड पार्क हेतु पर्याप्त क्षेत्र के लिये भूमि अधिग्रहण का कार्य करने की योजना बनाई जाये । तथा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की बडी कम्पनियों को भी आगरा में फूड पार्क में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये सरकार से अनुरोध है कि संयुक्त उपक्रम के रूप में सरकार एंव स्थानिय उद्यमियों द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने की योजना बनाई जाये जिससे की स्थनीय उद्यमियों को लाभ मिल सके और क्षेत्र का विकास हो सके ।

6- यहाँ के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये सरकार से अनुरोध है कि संयुक्त उपक्रम के रूप में सरकार एवं स्थानीय उघमियों द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने की योजना बनाई जाये जिससे की स्थानीय उघमियों को लाभ मिल सके और क्षेत्र का विकास हो सके ।

7- काफी व टी बोर्ड की तरह प्रदेशीय पोटेटो बोर्ड का भी गठन हो जिससे आलू का विकास एवं खपत बढ सके साथ ही आलू की आमद व निकासी तथा स्टॉक की सही जानकारी मिल सके ।

8- आलू अनुसंधान केन्द्र का एक स्टेशन आगरा में स्थापित किया जाये ।

विश्वास है कि आपके माध्यम से इन सुझावों पर अमल के लिये पूर्ण प्रयास किया जायेगा ।
धन्यवाद सहित !

भवदीय
कृते आगरा कोल्ड स्टोरेज ऑनर्स एसोसियेशन

(डॉ० सुदर्शन सिंघल) (राजेश गोयल)
अध्यक्ष महासचिव

शीतगृहों के लाइसेन्स नवीनीकरण के सम्बन्ध में :

कृपया ध्यान दें कि 31 अक्टूबर तक आगामी वर्ष के लिए आपके शीतगृह के लाइसेन्स नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र चला जाना चाहिए अन्यथा आप पर लेट फीस लग जायेगी। 31 दिसम्बर के बाद यदि आप नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र भेजते हैं तो वह प्रार्थना पत्र आपका ऐसे गिना जायेगा जैसे की आप नए शीतगृह के लिए प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। कृपया यह भी ध्यान दें कि आपका प्रार्थना पत्र निश्चित प्रारूप पर ही दिया जाना अनिवार्य है। यह प्रारूप यहाँ दिया जा रहा है :–

प्रपत्र संख्या–4
(नियम 10 देखिये)

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अध्यादेश, 1976 की धारा 7 के अधीन लाइसेन्स के नवीकरण के लिये आवेदन–पत्र

1. स्वामी का (स्वामियों के) नाम, पिता का नाम और पता।
2. कोल्ड स्टोरेज का नाम और स्थिति और डाक का पता।
3. (1) लाइसेन्स की संख्या और दिनांक जिसका नवीकरण अपेक्षित है।
   (2) वर्तमान साल की समाप्ति का दिनांक।
4. वर्तमान लाइसेन्स जारी या नवीकृत किये जाने के पश्चात् कोल्ड स्टोरेज में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन/हेरफेर/विस्तार आदि का ब्योरा।
5. जमा की गयी फीस की राशि, कोषागार का नाम (यथाविधि प्राप्तांकित) कोषागार चालान की संख्या और दिनांक संलग्न है।
6. अवधि जिसके लिये नवीकरण अपेक्षित है।
7. स्टोर करने के उपशुल्क/किराया प्रभार की अनुसूची में परिवर्तन, यदि कोई हो।
8. कोई अन्य सूचना जिसे आवेदक देना चाहे।
9. मैं/हम घोषित करता हूँ/करते हैं कि यहाँ पर दी गयी सूचना/ब्योरा मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा विश्वास में सत्य है।
10. मैं/हम उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अध्यादेश, 1976, इसके अधीन बन गए नियमों के उपबन्धों का और उन निर्देशों का अनुपालन का वचन देता हूँ/देते हैं जो लाइसेन्स अधिकारी द्वारा उक्त अध्यादेश और नियमों के अधीन समय–समय पर जारी किए जायें।

दिनांक आवेदक (आवेदकों) के हस्ताक्षर

अवधेय –

इस आवेदन–पत्र पर निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा :–

FEDERATION OF COLD STORAGE ASSOCIATIONS OF INDIA

Regd. Office : Swarup Cold Storage, Aishbagh, Lucknow (U.P.) Pin - 226004
Phone : 0522-2242486, Fax : 91-0522-2242486, Mob. : 9335019355, 9415418566
E-mail : coldstorage@satyam.net.in, Website : http : //www.fcaoi.org

Regd. No. 907-2001/2

Mahendra Swarup - President, **Rampada Paul** - Vice President (North), **Ashish Guru,** Vice President (South)
Mukesh Kr. Aggarwal - Hony. Secy., **B.L. Jaju** - Dir. Incharge and Finance Controller, **S.N. Ashraf** - Jt. Secy. and Dir. Coordination,
Kulwant Singh Saini - Director Information & Revenue, **Rajesh Goyal** - National Coordinator, **Gubba Nagender Rao** - Coordinator (South)
Engr. Major Md. Jasimuddin (Retd.) President, Bangladesh Cold Storage Association (International Coordinator)

TOGETHER WE PROGRESS

पश्चिम बंगाल : यहाँ पर आलू की निकासी सामान्य से अच्छी ही है। सरकार द्वारा प्रदेश से आलू बाहर भेजने पर से प्रतिबन्ध भी हटा लिया गया है और इस प्रकार सारे देश में आलू के भाव सामान्य हो गए है। कुछ दिन पहल आलू पर बंगाल से बाहर जाने पर प्रतिबन्ध लग गया था। इस कारण अन्य प्रान्तों में आलू के भाव में 100 रूपए से 200 रूपए कुन्तल की तेजी देखी गई थी।

गुजरात : गुजरात से गणेश कोल्ड स्टोरेज ने हमें सूचित किया है कि गुजरात के अन्दर लगभग 55 प्रतिशत आलू शीतगृहों से निकाला जा चुका है। आलू के रेट भी 1250 रू से 1400 रू कुन्तल चल रहे हैं। यहाँ का आलू महाराष्ट्र और राजस्थान प्रान्तों में जा रहा है। आपको आशा है कि निकट भविष्य में आलू के भावों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आयेगा। गुजरात में अभी कोई नई फसल आने की आशा भी नही है।

पृष्ठ 14 का शेष

(1) स्वामी या स्वामियों में से एक के द्वारा जहाँ कोल्ड स्टोरेज को प्राइवेट व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा चलाने का प्रस्ताव हो, या

(2) महाप्रबन्धक या प्रबन्धक द्वारा जहाँ कोल्ड स्टोरेज आ निगम/सार्वजनिक उपक्रम द्वारा चलाने का प्रस्ताव हो, या

(3) सचिव द्वारा जहाँ कोल्ड स्टोरेज को सहकारी समिति द्वारा चलाने का प्रस्ताव हो।

यहाँ ध्यान देने योग्य दो मुख्य बाते है, पहला अच्छा हो कि आप अपने लाइसेन्स का नवीकरण पॉच साल के लिए करवाए, जिसके लिए आप को चार साल की फीस देनी होगी, सम्बधित षासनादेष नीचे दिया है।

उत्तर प्रदेश शासन

संख्या एवं खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग – 1

संख्या – 389/58–1–2001 (27)/90 लखनऊ : दिनांक : 23 अगस्त, 2001

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम) संख्या 11 सन् 1976 (की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति एवं प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन् (लाइसेन्स देने) नियमावली 1976 की संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (लाइसेन्स देना) द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2001

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

(1) वह नियमावली उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (लाइसेन्स देना) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2001 की जायेगी।

(2) यह गजट मे प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2. नियम – 9 का संशोधन :

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (लाइसेन्स देना) नियमावली, 1976 मे नीचे स्तम्भ–1 मे विद्यमान नियम–9 के स्थान का संशोधन पर स्तम्भ–2 मे दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात :–

स्सम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थानित् नियम
9 धारा 7 में निर्धारित शर्तो या धारा 42 के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देषो के यदि कोई हो अधीन रहते हुए धारा–6 की उपधारा (1) के अधीन दिया गया लाइसेन्स इस नियमावली के नियम 10 के अधीन लाइसेन्सधारी के आवेदन पत्र पर और नियम 11 के अधीन निहित फीस देने पर, समय समय पर एक कलेण्डर वर्ष के लिए नवीकृत किया जाएगा।	9– धारा 7 में निर्धारित शर्तों पर धारा 42 से अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशो के यदि कोई हो अधीन रहते हुए धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन दिया गया लाइसेन्स इस नियमावली के नियम 10 से अधीन लाइसेन्स धारी के आवेदन पत्र पर और नियम 11 के अधीन विहित फीस देने पर, समय समय पर एक कलेण्डर वर्ष के लिए नवीकृत किया जाऐगा। प्रतिबन्ध यह है कि एक कलेण्डर वर्ष से किये विहित फीस का चार गुना अग्रिम भुगतान करने पर किसी लाइसेंस का नवीकरण पाँच वर्ष के लिए किया है।

आज्ञा से सचिव

शेष पृष्ठ 20 पर

केन्द्रीय खाद्य प्रस्संकरण मंत्री आगरा में:

माननीय डॉ. चरणदास महंत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री, आगरा पहुँचे और उन्होंने आगरा शीतगृहस्वामियों से भेट की।

आगरा में फूड पार्क को हरी झंडी

केंद्रीय मंत्री ने आलू अनुसंधान केंद्र बनाने का दिया आश्वासन

अमर उजाला ब्यूरो

- जमीन तलाशने और एस्टीमेट बनाने को कहा
- केंद्र सरकार करेगी 50 करोड़ की सहायता

आगरा। देश के सबसे बड़े आलू उत्पादक क्षेत्र आगरा में फूड पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने और आलू अनुसंधान केंद्र बनाने के आश्वासन पर कोल्ड स्टोरेज कारोबारियों ने खुशी जाहिर की है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्यमंत्री डॉ. चरणदास महंत ने होटल क्लार्क सिराज में आयोजित बैठक में कहा कि इस पर जल्दी ही कार्य किया जाएगा। यह बैठक में आगरा कोल्ड स्टोरेज ऑनर्स एसोसिएशन के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं शीतगृह उद्योग के विकास पर चर्चा कर रहे थे।

आगरा में फूड पार्क की स्थापना के प्रस्ताव पर उन्होंने कहा कि तीन से चार उद्योगपति मिलकर 50 एकड़ जमीन की तलाश करें। इसके लिए 100 करोड़ से ज्यादा का एस्टीमेट बनाएं, जिस पर केंद्र सरकार 50 करोड़ सहायता के रूप में देगी। उन्होंने आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना का भी आश्वासन दिया, लेकिन ताज संरक्षित क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की सप्लाई को सिरे से नकार दिया। कहा कि यह मेरे विभाग का नहीं, पेट्रोलियम विभाग का मामला है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने की बात पर उन्होंने कहा कि सरकार उद्योग नहीं लगाती, बल्कि उद्योग लगाने के लिए लोगों को जागरूक करती है। डॉ. महंत ने कहा कि देश में हर साल करीब 44 हजार 183 करोड़ रुपए के फल-खाद्य सामग्री नष्ट हो रहे हैं। सरकार इन्हें खराब होने से बचाने के प्रयास कर रही है। उद्यमी प्रशिक्षण शिविर के लिए रणनीति बनाएं, सरकार हर संभव मदद करेगी। आगरा कोल्ड स्टोरेज ऑनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मंत्री को शाल ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर एसोसिएशन के सचिव राजेश गोयल, अध्यक्ष डॉ. सुदर्शन सिंघल, कोषाध्यक्ष राजेश गोयल, शांति स्वरूप गोयल, अजय गुप्ता, रीतेश गुप्ता, राजीव कंसल, विजय सिंघल, मनीष अग्रवाल, राकेश अग्रवाल मौजूद रहे।

राज्यमंत्री का सम्मान करते आगरा कोल्ड स्टोरेज एसो. के पदाधिकारी।

आपने दो मुख्य बिन्दुओ पर शीतगृहस्वामियों का आश्वस्त किया :–

1. आलू अनुसंधान केन्द्र आगरा में बनाना
2. आगरा में ही फूड पार्क की स्थापना

उपरोक्त दोनों चीजों में होने वाले खर्च को देने का भी आश्वासन दिया गया है व यह भी कहा गया है कि यह कार्य शीघ्र–अति–शीघ्र पूरे किए जायेंगे।

दूसरा आपको ट्रेजरी चलान पर जिला उद्यान अधिकारी के हस्ताक्षर करवाना अनिवार्य नहीं है। इसके लिए हम यहाँ पर वर्ष 1998 में जारी किए गए शासनादेश का सम्बन्धित अंश प्रकाशित कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज लाइसेन्स नियमावली 1976 द्वारा निर्धारित नियमों का अनुसरण करते हुए और लाइसेसिंग अधिकारी (कोल्ड स्टोरेज) एवं निदेष्क उद्यान एवं खाद्य प्रसस्करण उत्तर प्रदेश द्वारा समय समय पर निर्धारित औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए निर्धारित नवीनीकरण के प्रर्थना पत्र जनपदीय उद्यान अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगे और जनपदीय द्वारा उपरोक्त बिन्दु 10 की भाँति प्राप्त रसीद दी जायेगी और समस्त कार्यवाही पूर्ण कर प्रकरण को सम्बन्धित जनपद के जिला अधिकरी एवं लाइसेंसिंग अधिकारी कोल्ड स्टोरेज के समक्ष अधिकतम एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत किया जायेगा और जिलाधिकारी/लाइसेन्सिंग अधिकारी कोल्ड स्टोरेज द्वारा नवीनीकरण की पत्रावलियों का निस्तारण अधिकतम 5 दिनों में किया जायेगा किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि कोल्ड स्टोरेज के लाइसेन्स को सामान्य नवीनीकरण की कार्यवाही पिछले वर्ष के नवम्बर माह के प्रथम पक्ष तक प्रत्येक दशा में सम्पादित करा दी जायेगी यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जनपदीय उद्यान कार्यालय द्वारा समस्त लाइसेन्सधारियों को **दूसरा चालान प्रपत्र जिला उद्यान अधिकारी के हस्ताक्षर अनिवार्य नही है और न ही इस हेतु/लाइसेन्सधारी को बाध्य किया जाए।**

सेवा में,

Postal Registration No.SSP/LW/NP65/2011-13

.....

.....

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक एवं स्वामी महेन्द्र स्वरूप, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश,
स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ से प्रकाशित एवं
रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ द्वारा मुद्रित